दिनांक 16.08.2022 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 139.00 से 196.00 कोटद्वार–सतपुली के (सेक्शन देवलखाल से सतपुली के किमी0 166.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 42.076 है0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन हेतु किये गये स्थलीय निरीक्षण की टिप्पणी

दिनांक 16.08.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन0एच0 119/534 किमी0 139.00 से 196.00 कोटद्वार–सतपुली के (सेक्शन देवलखाल से सतपुली के किमी0 166.00 से 196.00) तक दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु 42.076 है0 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन में बाधित कुल 999 बांज वृक्षों का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन एवं प्रयोक्ता एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

- उक्त मार्ग के चौड़ीकरण हेतु लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार की लैन्सडौन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले बांज एवं अन्य वृक्षों विवरण निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	वन भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (है0)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	बांज वृक्षों की संख्या	कुल योग
1	वन पंचायत	1.17	211	0	**211**
2	आरक्षित	13.147	2728	84	**2812**
3	सिविल सोयम	27.759	4899	823	**5722**
	योग	**42.076**	**7838**	**907**	**8745**
4	*नाप भूमि*	*34.814*	*2528*	*92*	***2620***
कुल प्रभावित वृक्षों की संख्या			**10366**	**999**	**11365**

- निरीक्षण के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार के साथ विचार–विमर्श किया गया तथा अन्य कोई विकल्प न होने के कारण उक्त बाधित बांज वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य पाया गया।
- उक्त मार्ग निर्माण हेतु गठित प्रस्ताव के अनुसार लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार की लैन्सडौन रेंज के अन्तर्गत वन भूमि में 907 एवं नाप भूमि में 92 बांज वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 10,366 वृक्षों सहित कुल 11,365 वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।

अतः अन्य कोई विकल्प उपलब्ध न होने के कारण उक्त मार्ग चौड़ीकरण कार्य हेतु बाधित बांज वृक्षों के पातन की जनहित में संस्तुति की जाती है।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 389 / 1-12 दिनांक, देहरादून, 17 , अगस्त, 2022

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. अपर प्रमुख वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
2. मुख्य वन सरंक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड पौडी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, धुमाकोट, पौड़ी (गढ़वाल)।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक
शिवालिक वृत्त, देहरादून।